

प्रपत्र— 1.6.2

परियोजना का नाम :—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में झाला – कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य लम्बाई (0.40 +1.10 km)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम— कोटी
तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत झाला – कोटी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.315 है 0 आरक्षित वन भूमि 0.469 है 0 सिविल सौयम भूमि 0.00 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.784 है 0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत झाला – कोटी द्वारा दिनांक—०१-०१-२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं! उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रिय परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम झाला – कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कार्यालय
विलोक्य...
जिला—टिहरी गढ़वाल
ग्राम सचिव

रमनी के
रजनी रौतेला
सदस्य
क्षेत्र पंचायत -थाती बूढ़ाकेदार
विलोक्य भिलंगना, टिहरी



हो/-
ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र— 1.6.5

ग्राम पंचायत का नाम—झाला — कोटी

~~राजनीतिकी~~
राजनी रीतेला
सदस्य
क्षेत्र पंचायत - थाती बूढ़ाकेदार
कि ख0 मिलाना, टिझो



ग्राम प्रधान

प्रपत्र- 1.6

परियोजना का नाम :—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिंलगना में झाला — कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य लम्बाई (**0.40 +1.10 km**)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाला — कोटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु **0.315 हैं 0** आरक्षित वन भूमि **0.469 हैं 0** सिविल एवं सायेम भूमि 0.00 हैं 0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल **0.784 हैं 0** वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—घनसाली) की दिनांक—**०१.०१.२०१५** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुंगाह है :-

1. श्री जूगदीश लाल उपजिलाधिकारी
2. श्री अमरजीत सिंह चौहान उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री रमेश कुमार चौहान सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री लिलाल अमृतसेन बी०डी०सी०/क्षेत्र पंचायत प्रमुख भिंलगना

अध्यक्ष

०१८५५ राजनीय रोतेला

सदस्य/सदस्यी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी सदस्यी द्वाकेदार अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिंलगना में राज्य योजना के अन्तर्गत झाला — कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना हेतु **०.७१५ हैं 0** वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंबंदि की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाला — कोटी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **०.७१५ हैं 0** वन भूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :— / तददिनांक |
प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

ज्यूगदीश लाल

घनसाली

टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र— 1.6.1

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक—०१.०१.२०१५ को ज्ञाला — कोटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु भू
हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में
हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगदीष लाल	उपजिलाधिकारी	
2	श्री दृष्टि शर्मा	उप वनाधिकारी, टिहरी	
3	श्री सुरेष कुमार रोहिला	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री विजय गुनसाला	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत भिंलगना प्रमुख	

प्रपत्र- 1.6.3

Form-1

For linear projects

Government of India

Office of the district collector Tehri Garhwal

No.

Dated 12/03/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having identified and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 0.784 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for Jhala - Koti Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Jhala - Kotivillage (s) in Ghansali Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.784 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are included as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M

Ghansali

Tehri Garhwal

Signature

(Yugal Kishor Pant)

District Collector,

Tehri Garhwal

प्रारूप-1.6.6

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Tehri Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006. A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Yugal Kishor Pant I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 12/03/2015 at timeat in which application claiming rights in area measuring 0.784.... hect for the construction of Thala Kothi Motiur Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri

Dated: 12/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिक्की गढ़वाल

It is further certified that Minutes of Meeting of Jhala Koti Motor Road scheme regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remark
(a)	<p><i>He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.784 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)</i></p>	<p><i>Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.</i></p>
(b)	<p><i>The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.</i></p>	<p><i>Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.</i></p>
(c)	<p><i>The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.</i></p>	<p><i>Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.</i></p>


सरदार पटेल

जिला पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल।

Ramdev
समाज कल्याण अधिकारी,
दिहरी गढ़वाल।

S. S. C. नव होत्राधिकारी
बाल गंगा
टिहरी वन प्रबल
अधिकारी
प्रभारी वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभारी,
देख | मई टिहरी ।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खाप ०५०५०विभाग
घनसाली (ट०गो) अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, ल००नि०वि०, घनसाली